रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 9 जुलाई, 1988/18 आषाढ़, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्यान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 फरवरी, 1988

संख्या उद्यान-क (3) 4/81-II.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश की सहमति से हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग में जिला उद्यान अधिकारी/उद्यान विकास अधिकारी/विषय विशेषज्ञ/पौध उत्पादन अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी/खुम्ब विकास अधिकारी/सहायक पुष्प विज्ञ श्रेणी-II (राजपत्रित) वेतनमान रु0 825-1580, रु0 1200-1700 (सलैक्शन ग्रेड) पद के लिये भर्ती एवम् पदोन्नति नियम जो विभाग की अधिसूचना सं0 उद्यान-क (3) 4/81-II दिनांक 3-9-1987 द्वारा अधिसूचित किये गए थे को निष्प्रभावित करते हुए इस अधिसूचना में संलग्न अनुबन्ध-1 के अनुसार जिला उद्यान अधिकारी/उद्यान विकास अधिकारी/विषय विशेषज्ञ/पौध उत्पादन अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी/खुम्ब विकास अधिकारी/सहायक पुष्प विज्ञ वर्ग द्वितीय (राजपत्रित) के भर्ती एवं पदोन्नति नियम सहर्ष बनाते है ।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस के आगे इस विभाग द्वारा इस पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचना संख्या 25-5/69-हॉर्ट (सैक्ट) दिनांक 19-12-71 तथा समय-समय पर इन नियमों में किये गये संशोधन अधिसूचित को निरसन करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं बशर्ते कि यह निरसन पहले बनाये गये भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अन्तर्गत हुई कार्यवाही पर असर नहीं डालेगा या उन नियमों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही उन नियमों के अनुसार मान्य होगी ।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह नियम हिमाचल प्रदेश, उद्यान विभाग के वर्ग द्वितीय (राजपत्रित) सेवायें नियम 1988 कहलायेंगे ।

(2) यह नियम हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

एस0एम0कंवर,
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव,

अनुबन्ध –1

उद्यान विभाग में श्रेणी-II (राजपत्रित)

1. पद का नाम	जिला उद्यान अधिकारी/उद्यान विकास अधिकारी/विषय वस्तु विशेषज्ञ/पौध उत्पादन अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी/खुम्ब विकास अधिकारी/सहायक पुष्प विज्ञ ।
2. पद की संख्या	12+11+1+1+2+1+1=29.
3. वर्गीकरण	श्रेणी-II (राजपत्रित) ।
4. वेतन मान	रु0 825-1580 (समयमान) 1200—1700 (प्रवरण वेमनमान 20 प्रतिशत) ।
5. क्या पद प्रवरण अथवा अप्रवरण है	प्रवरण ।
6. सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	35 वर्ष तथा इस से कम । उपबन्धित है कि सीधी भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा उन उमीदवारों पर लागू नहीं होगी जो पहले ही तदर्थ या अनुबन्ध के आधार पर सरकारी सेवा में कार्यरत हों, आग उपबन्धित है कि तदर्थ या अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त उम्मीदवार यदि नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा पार कर गया हो, तो इसे निर्धारित आयु सीमा में उस आधार पर छूट नहीं दी जायेगी ; आगे उपबन्धित है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों क लिय उच्चतम आयु सीमा में देय छूट उतनी है, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार क सामान्य अथवा विशेष आदेशों क अन्तर्गत अनुमत है ; आगे उपबन्धित है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निगमों तथा स्वायत निकायों क लिए सभी कर्मचारियों को जो इन सार्वजनिक क्षेत्र के निगम तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय इनमें अन्तर्लीन होने से पूर्व सरकारी

	कर्मचारी थे, को भी सरकारी कर्मचारियों की भांति सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट होगी । इस प्रकार की छूट सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उक्त निगमों, स्वायत निकायों द्वारा बाद में भर्ती किये गये थे/किए गए हों, और इन सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के बाद अन्तिम रूप से इन निगमों/स्वायत निकायों में अन्तर्लीन हो गये हों ।
	टिप्पणी :—1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा, आयोग द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए निश्चित अन्तिम तिथि को गिनी जायेगी ।
	2. सीधी भर्ती की स्थितियों में अन्यथा विशिष्ट योग्यता प्राप्त उम्मीदवार के लिये आयु सीमा तथा अनुभव सम्बन्धित योग्यताओं में आयोग के विवेकानुसार छूट देय होगी ।
7. सीधी भर्ती के लिये कम से कम शैक्षणिक योग्यता तथा अनिवार्य अन्य आवश्यक योग्यतायें :	अनिवार्य : कृषि में स्नातकोत्तर (उद्यान) या उद्यान में स्नातकोत्तर या उद्यान स्नातक-या कृषि स्नातक (उद्यान) (चुने गये विषय सहित) उद्यान कार्यक्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव । वांछनीय : पहाड़ी जलवायु एवं परिस्थितियों में फल पौधे उगाने तथा उनकी प्रसारण विधियों का नवीनतम ज्ञान । हिमाचल प्रदेश के रीति-रिवाज भाषा और संस्कृति का ज्ञान तथा प्रदेश की विशेष परिस्थितियों में नियुक्ति के लिये उपयुक्तता ।
8. क्या आयु व शैक्षणिक योग्यता जिनका वर्णन सीधी भर्ती के लिये किया गया है पदोन्नति के लिये भी लागू होगी ?	आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यता : हां
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि जिसको कि सक्षम प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा विशेष परिस्थितियों में अधिकतम केवल एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।
10. भर्ती की प्रणाली क्या सीधी अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न ढंगों द्वारा रिक्त स्थानों को भरने की प्रतिशतता ।	75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।
11. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले पर वेतनमान जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा ।	उद्यान श्रेणी-III अधिकारियों (कार्यकारी अनुभाग) में से वह वरिष्ठ तकनीकी सहायक तथा उद्यान निरीक्षक के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा तथा नियमित नियुक्ति के पूर्व यदि कोई 31-12-83 तक अपेक्षित पद पर तदर्थ सेवा की गई हो तो पदोन्नति के लिये निर्धारित कार्यकाल अवधि में ऐसी सेवा की अवधि को गिना जायेगा ।

पदोन्नति के लिये वरिष्ठ तकनीकी सहायक और उद्यान निरीक्षकों की वरिष्ठताओं को इक्टठा किया जायेगा और जिस वरिष्ठ तकनीकी सहायक की नियुक्ति 1-11-77 से पूर्व हुई हो उसको उद्यान निरीक्षक से वरिष्ठ माना जायेगा ।

टिप्पणी-1 —पदोन्नति के सभी मामलों में नियमित नियुक्ति से पूर्व यदि कोई 31-12-83 तक आपेक्षित पद पर तदर्थ सेवा की गई हो तो पदोन्नति के लिये निर्धारित कार्यकाल अवधि से ऐसी सेवा की अवधि को गिना जायेगा जैसा कि नियमों में निर्धारित है बशर्तेकि :—

(क) उपरोक्त शर्तों को मध्येनजर रखते हुये सभी मामलों पर जो सेवा की एक कनिष्ठ प्रत्याशी 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा को मिला कर पर पदोन्नति के लिये योग्य हो जाता है तो वह सभी प्रत्याशी जो तत्सम्बन्धी वर्ग संवर्ग में इससे वरिष्ठ होंगे वह सभी विचारणीय होंगे तथा कनिष्ठ प्रत्याशी से वरिष्ठ समझे जायेंगे ;

उपबन्धित है कि वे सभी प्रत्याशी जो पदोन्नति हेतु विचाराधीन हो वे कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा अवधि या भर्ती एवम् पदोन्नति नियमानुसार जो भी निर्धारित सेवा की अवधि हो, दोनों में से जो भी कम हो रखते हों ;

आगे उपबन्धित है कि यदि कोई कर्मचारी/प्रत्याशी पदोन्नति के लिये उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार अनुपयुक्त/अयोग्य पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उससे कनिष्ठ प्रत्याशी भी पदोन्नति के लिये अयोग्य समझे जायेंगे ।

(ख) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों के लिये भी 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा नियमित नियुक्ति से पहले यदि कोई हो तो ऐसी सेवा को कार्यकाल अवधि में जोड़ा जायेगा;

उपबन्धित है कि इस प्रकार तदर्थ सेवा सम्मिलित करके स्थाईकरण करने पर भी परस्पर वरिष्ठता में परिवर्तन न आने पायें ।

(ग) 31-12-83 के उपरान्त की गई तदर्थ सेवा को स्थाईकरण या पदोन्नति के लिये नहीं गिना जायेगा ।

	टिप्पणी-2 —जब कभी नियम-2 के अधीन पदों की संख्या में वृद्धि की जाती है तो सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियम 10 तथा 11 के उपबन्धों में संशोधन किये जायेंगे ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो इसकी रचना क्या है ।	प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत सदस्य द्वारा की जायेगी ।
13. परिस्थितियां जिसमें भर्ती के लिये हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जायेगा ।	जैसा कि विधि के अधीन अपेक्षित है ।
14. सीधी भर्ती के लिये आवश्यक योग्यतायें :	उपर्युक्त या पद सेवा के लिये उम्मीदवार का निम्नलिखित का होना आवश्यक है : (क) भारतीय नागरिक, या (ख) नेपाल की प्रजा, या (ग) भूटान की प्रजा, या (घ) विस्थापित तिब्बती जो कि एक जनवरी, 1962 के उद्देश्य से आया हो । (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, वर्मा, श्री लंका, पूर्वी अफ्रीका, संयुक्त गणतन्त्र: कीनिया, युगांडा, तंजानिया (इससे पूर्व तागानीका और जंजीवा जांबिया, मालवी, जेयरे तथा इथोपिया से भारत में स्थाई रूप से रहने के उद्देश्य से आया हो । उपबन्धित है कि वर्ग ख, ग, घ और ङ से सम्बन्धित वही प्रत्याशी माना जायेगा जिसको भारत सरकार/राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया हो, प्रत्याशी माना जायेगा । जिसके बारे में पात्रता का प्रमाण पत्र अनिवार्य हो, को भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा आयोजित साक्षात्कार या किसी परीक्षा में बैठने की आज्ञा दी जा सकती है परन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पात्रता के आवश्यक प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही किया जायेगा ।
15. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु चयन,	सीधी भर्ती की स्थिति में इन पदों हेतु नियुक्ति के लिये चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर यदि आयोग/भर्ती प्राधीकारी अथवा व्यवहारिक के आधार पर किया जायेगा । जिसका स्तर/पाठ्यक्रम में इत्यादि आयोग भर्ती प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।
16. आरक्षण	उक्त सेवा में नियुक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत चयनित परिवारों इत्यादि के लिये सेवाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के अधीन होगी ।

17. शिथिल करने की शक्ति

जहां पर प्रदेश सरकार का यह मत हो कि यह करना जरूरी है या इसे इस तरह से करना है तो उसके कारणों को अंकित करके हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग के परामर्श से लिखित आदेश प्राप्त करके किसी श्रेणी, वर्ग, व्यक्तियों या पद के नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दी जा सकती है ।

18. विभागीय परीक्षा

सेवा के प्रत्येक सदस्य को विभागीय परीक्षा के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि या इन नियमों की अधिसूचना के दो वर्ष के भीतर जो भी बाद में हो, विभागीय परीक्षा को पास करना होगा, अन्यथा वह निम्नलिखित का पात्र नहीं होगा ।

(क) आगामी देय दक्षता रोध पार करने के लिए,
(ख) सेवा में स्थाईकरण,
(ग) आगामी उच्च पद में पदोन्नति ।

उपबन्धित है कि यदि एक सदस्य उपर्युक्त अवधि के भीतर पदोन्नति के लिए अन्यथा पात्र बन जाता है, उसकी पदोन्नति के लिए विचार अन्यथा किया जायेगा और यदि अन्यथा उपर्युक्त पाया जाये, इस विभागीय परीक्षा को पास करने की शर्त पर अस्थायी पदोन्नति कर दिया जाएगा । यदि वह इसे पास करने में असफल रहता है तो उसे पदावनत किया जा सकता है । आगे यह भी उपबन्धित है कि अधिकारी जिसने विभागीय परीक्षा को इन नियमों की अधिसूचना से पहले किन्हीं अन्य नियमों के अधीन पूरी या आंशिक रूप से पास कर लिया है, उसे पूरी या आंशिक परीक्षा, जैसी भी स्थिति हो, पास करनी अपेक्षित नहीं होगी;

आगे उपबन्धित है कि यदि किसी अधिकारी के लिए इन नियमों के अधिसूचित होने से पहले कोई विभागीय परीक्षा निर्धारित नहीं थी और वह अधिकारी 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु पार कर चुका हो तो उसे नियमों के अधीन निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी आवश्यक नहीं होगी ।

(II) किसी अधिकारी को उसकी सीधे पदोन्नति लाईन के किसी उच्च पद में पदोन्नति के उपरान्त उपयका परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उसने पहल ही निचले राजपत्रित पद पर उक्त परीक्षा पास कर ली हो ।

(III) सरकार, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से विशष परिस्थितियों में और लिखित रूप में इसक कारण रिकार्ड करके विभागीय परीक्षा नियमों क अनुसार व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग की विभागीय परीक्षा में पूर्ण अथवा आंशिक छूट दे सकती है ।

राजस्व विभाग (स्टाम्प रजिस्ट्रेशन)

अधिसूचना

शिमला-2, 11 मार्च, 1988

संख्याः रैव0 1-सी0(15)1/76 (भाग-I).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहकारी सभा द्वारा या उसकी ओर से या उसके किसी अधिकारी या सदस्य द्वारा और ऐसी सभा के कारोबार से सम्बन्धित निष्पादित लिखतों पर या ऐसी लिखतों की किसी श्रेणी या हिमाचल प्रदेश सहकारी सभा अधिनियम, 1968 (1969 का 3) के अधीन दिए गए पंचाट या दिए गए आदेश सम्बन्धी निष्पादित लिखतों पर प्रभार्य शुल्क का समस्त हिमाचल प्रदेश में तत्काल परिहार करते हैं।

अत्तर सिंह,
सचिव (राजस्व)।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 31 मार्च, 1988

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)46/76.—क्योंकि श्री केवल कृष्ण प्रधान, ग्राम पंचायत छपरोह ने 3/62 से 8/65, 9/65 से 6/75, 7/75 से 7/77, 8/77 से 3/81, 4/81 से 3/84, 4/84 से 3/85, 4/85 से 3/86 4/86 से 21-7-87 तक के अंकेक्षण में उठाई गई आपत्तियों का समाधान न करके हि0प्र0 (सामान्य) वित्तीय, बजट, लेखा, अंकेक्षण कराधान आदि नियम 1975 के नियम 30 की उल्लंघना की ;

क्योंकि ग्राम पंचायत छपरोह के अंकेक्षण के फलस्वरूप यह तथ्य सामने आया है कि श्री केवल कृष्ण ने मु0 30,193 रुपये अनाधिकृत रूप से गांव के रास्ते के लिए वित्तीय नियमों की उल्लंघना करके खर्च करने के दोषी पाए गए हैं;

क्योंकि श्री केवल कृष्ण प्रधान ने मु0 3,000/- रुपये की धनराशि कांगड़ा कोआपरेटिव बैंक चिन्तपूर्णी से 28-1-87 को निकलवा कर उसका कैश बुक में इन्द्राज 30-6-87 को करके हिमाचल प्रदेश (सामान्य) वित्तीय, बजट, लेखा, अंकेक्षण कराधान आदि नियम के नियम 4 व 9 की उल्लंघना की, क्योंकि उक्त प्रधान ने 4,000 ईंटों का खर्चा 2,800 रुपये श्री कसरू चन्द शर्मा, जिसका ट्रक नं0 2624 एच0 पी0 जी0 है, 29-1-87 को दिया दिखाया है इस प्रकार 700 रुपये प्रति हजार की दर से लेकर बहुत महंगे भाव से ईंटें खरीदीं जबकि ईंटें काफी कम दाम पर पास की ईंटों की भट्ठी से उन दामों पर ली जा सकती थीं जो सरकार द्वारा उस समय निर्धारित थे। इतना खर्चा दिखाना प्रधान के लिए न्यायोचित नहीं ;

क्योंकि प्रधान ने मु0 550 रुपये की धनराशि अनाधिकृत अग्रिम धन के रूप में 11-3-86 को प्राप्त की तथा इसकी 10-8-87 को लगभग 17 महीनों बाद वापिस करके हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 1975 के नियम 14 की उल्लंघना की।

उपरोक्त के दृष्टिगत तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए जांच करवानी आवश्यक है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) अम्ब को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश ऊना के माध्यम से इस कार्यालय को शीघ्र प्रेषित करेंगे।

हस्ताक्षरित,
अवर सचिव (पंचायत)।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 6 जून, 1988

संख्या 3-6/87-ई0एल0एन0—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/84-41, दिनांक 27 मई,

1988 तदानुसार ज्येष्ठ 6, 1910 (शक्) हिन्दी रूपान्तर सहित सर्व-साधारण की सूचना हेतु पुनः प्रकाशित करता हूं ।

आदेश से,
अत्तर सिंह,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली-1

दिनांक 27 मई, 1988
6 ज्येष्ठ, 1910 (शक्)

अधिसूचना

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 और 10 तथा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा (1) के खण्ड (घ) तथा उप-पैरा (2) एवं पैरा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, दिनांक 16 नवम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-2, खंड 3 (iii) में आ0 अ0 124 (अ) के रूप में प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित, अपनी, दिनांक 13 नवम्बर, 1984 की अधिसूचना संख्या 56/84-1 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन और करता है :—

उक्त अधिसूचना की सारणी 4 में, मद 21-उत्तर प्रदेश के सामने, स्तम्भ 2 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़िए:—

36. उड़ने को तैयार गरुड़
37. कबूतरों का जोड़ा
38. मोर
39. लालटेन
40. पंखा
41. प्याला और तश्तरी
42. लाटर बाक्स
43. मेज
44. सुराही
45. अनाज बरसाता हुआ किसान
46. घण्टी
47. ताला
48. दवात और पैन
49. हिरण
50. मुर्गा
51. पालकी
52. कुल्हाड़ी
53. पलंग
54. जहाज
55. चीता
56. कुआं
57. भेड़

58. छाता
59. डमरू
60. ओखली
61. बकरी
62. खरगोश
63. फलदान
64. कटहल
65. फसल काटता हुआ किसान
66. सिर पर टोकरी ले जाती हुई स्त्री
67. पत्ती सहित फूल

उपर्युक्त संशोधनों को 26 मई, 1988 से प्रभावी माना जाएगा ।

[सं० 56/84-41]
आदेश से,
आर० पी० भल्ला,
सचिव ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NEW DELHI,

Dated— *the 27th May*, 1988 / *Jyaistha* 6, 1910 (S)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961, and clause(*d*) of sub-paragraph (1) and sub-paragraph (2) of paragraph 17 and paragraph 18 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following further amendments in its notification No. 56/84-41, dated the 13th November, 1984, published as O. N. 124 (R), in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section 3(*iii*), dated the 16th November, 1984, and as amended from time to time, namely:—

In Table 4 of the said notification against Item 21. Uttar Pradesh, under column 2, following entries shall be added to:—

36. Eagle about to fly
37. A pair of pigions
38. Peacock
39. Hurricane Lamp
40. Ceilling fan
41. Cup and Saucer
42. Letter Box
43. Table
44. Jug (Surahi)
45. Cultivator winnowing grain.
46. Bell
47. Lock
48. Inkpot and Pen
49. Deer

50. Cock
51. Palki
52. Axe
53. Kite (Patang)
54. Ship
55. Tiger
56. Well
57. Sheep
58. Umbrella
59. Drum (Damru)
60. Martar
61. Goat
62. Rabbit
63. Flower Pot
64. Katahal
65. Cultivator cutting crops
66. Woman carrying basket
67. Flower with leaves.

The above amendments shall be deemed to have taken effect with effect from 26th May, 1988.

[No. 56/84-XXXXI]

By order,
R. P. BHALLA,
Secretary.

कार्यालय जिलाधीश, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

निलम्बन आदेश

धर्मशाला, 24 फरवरी, 1988

संख्या 797-200-पंच.—क्योंकि श्री रघुबीर सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत रज्याणा (53 मील), विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा ने पंचायत की मु0 7,193.25 पैसे नकद बाकि अनाधिकृत रूप से अपने पास रखते हुए हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 33(3) III एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित, बजट, लेखा, अंकेक्षण, कर सेवा एवं भता नियम, 1975 के नियम 8 की स्पष्ट उल्लंघना की तथा प्रधान के नाते अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया ;

और क्योंकि उक्त प्रधान ने मास 2/87 में बैंक के खाता नं0 2346 की शेष राशि मु0 1864.37 पैसे निकलवा कर ऋण की किस्त अदा न करके अपने निजी प्रयोग में लाई ;

और क्योंकि उक्त प्रधान ने औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना दिनांक 14-7-87 को खड्ड की नीलामी की तथा रसीद दिए बिना मु0 925/- रुपय प्राप्त करके राशि अनाधिकृत रूप से अपने पास रखी;

और क्योंकि उक्त प्रधान ने अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या 3364, दिनांक 14-7-87 के सन्दर्भ में कोई भी स्पष्टीकरण अपने पक्ष में प्रेषित नहीं किया तथा जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा द्वारा की गई जांच दौरान प्रधान द्वारा यह ब्यान दिया गया कि उन्हें नोटिस की प्रति प्राप्त हो गई है तथा व शीघ्र ही समस्त राशि जमा करवा देंगे। लेकिन आज दिन तक कोई सूचना उक्त प्रधान द्वारा प्रेषित नहीं की गई।

अतः मैं, टी0 सी0 जनार्था अतिरिक्त जिलाधीश, कांगड़ा स्थित धर्मशाला उन शक्तियों के अधीन जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अधीन प्रदत हैं, उक्त श्री रघुबीर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत रज्याणा (53 मील) को प्रधान पद से तत्काल निलम्बित करता हूं तथा आदेश देता हूं कि वह अपने पद का समस्त कार्यभार उप-प्रधान, ग्राम पंचायत रज्याणा को सौंप देवें। निलम्बन काल में वह पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे।

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला, 26 फरवरी, 1988

संख्या 883-85/पंच.—क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी प्रागपुर ने इस कार्यालय को अवगत करवाया है कि श्री प्रकाश चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत सियूल की विकास कार्य विरोधी गतिविधियों के कारण पंचायत के विभिन्न विकास कार्य रुक गए हैं;

और क्योंकि उक्त प्रधान विकास खण्ड कार्यालय द्वारा विभिन्न योजनाओं हेतु करवाये जा रहे कार्यों पर लगे मजदूरों को डरा-धमका रहे हैं।

और क्योंकि उक्त प्रधान ने ग्राम पंचायत को दिए अनुदान से करवाये जा रहे निम्न कार्यों को बिना किसी कारण रोक दिया है:—

क्रम सं0	कार्य का नाम	अनुदान की राशि	अनुदान सवितरण की दिनांक
1.	आयुर्वेदिक डिस्पैन्सरी का निर्माण कार्य	3,000	30-3-1981
2.	सियूल बावली के कुएं का निर्माण कार्य	5,000	19-10-1981
3.	सियूल कूहल का निर्माण कार्य	8,575	21-1-1984
4.	दीदियां कूहल का निर्माण कार्य	5,000	2--3-1984
5.	पंचायत घर (पहली किस्त) का निर्माण कार्य	5,000	13-6-1986

और क्योंकि उपरोक्त गतिविधियों से स्पष्ट है कि उक्त प्रधान अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं।

अतः मैं, टी0 सी0 जनार्था, अतिरिक्त जिलाधीश, कांगड़ा स्थित धर्मशाला उन शक्तियों के अधीन जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अधीन प्रदत्त हैं उक्त श्री प्रकाश चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत सियूल, विकास खण्ड प्रागपुर को कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न उन्हें उपरोक्त कृत्यों के लिए प्रधान पद से निलम्बित किया जावे। उनका उत्तर इस नोटिस प्राप्ति से 15 दिन के भीतर-भीतर इस कार्यालय को पहुंच जाना चाहिए अन्यथा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही व्यवहार में लाई जावेगी।

टी0 सी0 जनार्था,
अतिरिक्त जिलाधीश,
कांगड़ा, स्थित धर्मशाला।

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, मण्डल मण्डी

कार्यालय आदेश

मण्डी, 30 मार्च, 1988

विषय: —हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली 1971 के नियम 77 के अधीन कारण बताओ नोटिस।

संख्या पंच-मण्डी-26-18/79-1775-78.—यह कि मलहोत्रा ट्रेडर्ज, मण्डी ने जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी को सूचित किया था कि श्री परम देव, प्रधान ग्राम पंचायत शिकावरी ने मु0 3653.14 पैसे का फर्नीचर बिल नं0 277 दिनांक 28-10-1986 के अधीन ग्राम पंचायत शिकावरी के लिए उन के उद्योग से प्राप्त किया था परन्तु अभी तक उन्हें उक्त बिल का भुगतान नहीं किया ;

और यह कि जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी ने इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पंचायत के सचिव से वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की जिस में सचिव ने स्पष्ट किया कि न तो फर्नीचर क्रय करने हेतु पंचायत ने अपने बजट में प्रावधान रखा है और न ही प्रधान को फर्नीचर क्रय करने हेतु पंचायत ने अधिकृत किया है। श्री परम देव को उपरोक्त अधिकारी द्वारा पत्र संख्या पंच-मण्डी-26-18/79-1078 दिनांक 29-2-1988 के अधीन उक्त फर्नीचर क्रय करने हेतु के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा था परन्तु उक्त प्रधान ने कोई भी स्पष्टीकरण प्रेषित नहीं किया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्री परम देव, प्रधान ने मैसर्ज मलहोत्रा ट्रेडर्ज, मण्डी से पंचायत के नाम पर फर्नीचर क्रय कर के उक्त उद्योग को धोखा दिया है और पंचायत के नाम वस्तु क्रय कर के पंचायत की प्रतिष्ठा को धब्बा लगाया है। इस प्रकार उक्त प्रधान ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और वह अनाचार के दोषी हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रधान पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं समझा जाता।

अतः मैं पी0सी0 कपूर, अतिरिक्त उपायुक्त मण्डी मण्डल, मण्डी उन अधिकारों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली 1971 के नियम 77 के अधीन प्राप्त हैं के अधीन श्री परम देव प्रधान ग्राम पंचायत शिकावरी विकास खण्ड सराज को आदेश देता हूं कि वह कारण बताएं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अधीन प्रधान पद से निलम्बित किया जाए। उन्हें यह भी आदेश दिया जाता है कि वह सम्बन्धित उद्योग को अविलम्ब बिल का भुगतान करें। उन का उत्तर इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर-भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह अपने दोषों को मानते हैं और उन के विरुद्ध आगामी कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी।

हस्ताक्षरित,
अतिरिक्त उपायुक्त,
मण्डी, मण्डल मण्डी।

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।